प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
निबन्धन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-7 लखनऊः दिनांक- 28 नवम्बर,2014

विषय- समस्त सरकारी विभागों एवं उनके अधीन कार्यरत सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी संगठनों के कब्जा सहित अनुबन्ध-पत्र के अनुसरण में विक्रय विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि कर एवं निबन्धन अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या-क0नि0/7-641-11-700(111)-2013 दिनांक 01 अगस्त, 2013 के अनुसार समस्त सरकारी विभागों एवं उनके अधीन कार्यरत संगठनों, चाहे सरकारी हो या अर्द्ध सरकारी, की स्थावर संपत्ति के किसी आवंटिती के पक्ष में, आवंटन-पत्र के जारी होने के दिनांक से छः माह की अवधि के भीतर अंतरण करने के लिए उनके द्वारा निष्पादित हस्तांतरण-पत्र/पट्टा की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में हस्तांतरण/पट्टा विलेख में दिये गये रकम के बराबर के प्रतिफल की धनराशि से अधिक की धनराशि पर प्रभार्य शुल्क की सीमा तक छूट प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त यह छूट ऐसे आवंटी को भी प्रदान की गयी है, जिसके द्वारा आवंटन-पत्र के जारी होने के दिनांक से छः माह के भीतर विक्रय/पट्टा के अनुबंध का निष्पादन करा लिया हो और उक्त अनुबंध के अनुसरण में कब्जा-पत्र जारी होने के दिनांक से तीन माह के भीतर अथवा वास्तविक कब्जा पाने के दिनांक तक, जो भी पहले हो, विक्रय/पट्टा विलेख निष्पादित करा लिया हो।

2- शासन के संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय प्रकरणों में सरकारी विभागों एवं उनके अधीन कार्यरत सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी संगठनों की परिसंपत्तियों का आवंटियों के पक्ष में कब्जा सहित अनुबन्ध पत्र का निबन्धन कराये जाने पर सम्पूर्ण प्रतिफल पर स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है, किन्तु आवंटी द्वारा उक्त अनुबन्ध के अनुसरण में तीन माह की अवधि के पश्चात् विक्रय विलेख के निष्पादन एवं पंजीकरण हेतु प्रस्तुत

http://shasanadesh.up.nic.in

करने पर संबंधित उप-निबंधक कार्यालयों द्वारा वर्तमान सर्किल दर से स्टाम्प शुल्क की मांग की जा रही है।

3- इस संबंध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1 ख के अनुच्छेद 23 के स्पष्टीकरण के अनुसार किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय के करार के मामले में जहां निष्पादन के पूर्व या निष्पादन के समय कब्जा दे दिया जाए या हस्तांतरण-पत्र निष्पादन किए बिना दे दिये जाने का करार किया गया हो, वहां करार को हस्तांतरण पत्र समझा जाएगा और उस पर तदनुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।

4- अतः उपरोक्त परिरप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अधिसूचना संख्या- क0नि0/7-641-11-700(111)-2013 दिनांक 01-08-2013 में वर्णित समस्त सरकारी विभागों एवं उनके अधीन कार्यरत संगठनों, चाहे सरकारी हो या अर्द्ध सरकारी, द्वारा निष्पादित इकरारनामा मय कब्जा विलेख में यदि उक्त पैरा-3 में वर्णित अनुच्छेद 23 के स्पष्टीकरण के अनुसार हस्तांतरण-पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क अदा कर दिया गया है तो इस अनुबन्ध पत्र के अनुसरण में तीन माह की अवधि के पश्चात् भी निष्पादित किये जाने वाले विक्रय-पत्र पर वर्तमान सर्किल दर से स्टाम्प शुल्क का आगणन कर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य नहीं होगा।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त उप महानिरीक्षक, निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त सहायक महानिरीक्षक, निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in